



संख्या-2/2024/1/736966/2024/31-1099/5/2021 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी,
(संलग्नक के अनुसार)
उत्तर प्रदेश।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

लखनऊ:

दिनांक 09 सितम्बर, 2024

विषय: मांत्री समूह के जनपदीय भ्रमण के उपरान्त निरीक्षण आख्या पर कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विभाग के शासनादेश संख्या:1/202963/2022/31-1099/5/2021, दिनांक 18 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मांत्री समूह के जनपद भ्रमण के उपरान्त निरीक्षण आख्या पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्येक जनपद का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में नामित नोडल अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण के फलस्वरूप संलग्न सूची के अनुसार जनपदों का नोडल अधिकारी नामित करते हुए शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2022 में दी गयी व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

3- इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि कृपया नामित नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद में प्रत्येक 02 माह में एक बार (वर्ष में 06 बार) 02 दिन का जनपद भ्रमण के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे:

(1)

- नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के प्रथम दिन मांत्री जी द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान निरीक्षण आख्या पर नोडल अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा उसका एजेण्डावार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के दौरान आम जनता की समस्याओं का समाधान कराएं तथा जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनका फोटो बैंक प्राप्त कर प्रभावी कार्यवाही कराएं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepth.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- नोडल अधिकारी जनपद मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ CM Dashboard पर उपलब्ध Flagship Schemes की समीक्षा करेंगे। जनपद पर समीक्षा बैठक Flagship Schemes से सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।
- नोडल अधिकारी द्वारा Flagship Schemes के अतिरिक्त अपने विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं। शिथिलता पाए जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
- नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के दूसरे दिन किसी एक ग्राम का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण से पूर्व ग्राम में संचालित योजनाओं का विवरण जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ग्राम में एक खुली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के भौतिक कार्यों एवं लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा तथा एक वर्ष की अवधि में आयोजित तहसील/थाना समाधान दिवसों एवं आई0जी0आर0एस0 पोर्टल/सी0एम0 हेल्पलाईन पर प्राप्त समस्त प्रकार की शिकायतों का विवरण जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके निस्तारण की पुष्टि रैण्डम आधार पर नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- नोडल अधिकारी द्वारा Flagship Schemes का भौतिक सत्यापन एवं विशेष रूप से बड़ी लागत की कम से कम 02 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी अपने साथ जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभियन्ताओं की टीम साथ लेकर जायेंगे। उक्त टीम में उस विभाग के अभियन्ता शामिल नहीं किए जाएंगे, जिस विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया जाना हो, परन्तु उस विभाग के उत्तरदायी अधिकारी निरीक्षण के समय अवश्य उपस्थित रहेंगे।
- मा0 मंत्री समूह के जनपद भ्रमण के दौरान निरीक्षण आख्या पर नोडल अधिकारी द्वारा करायी गयी कार्यवाही की आख्या तीन दिवस के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सुसंगत पोर्टल (cmis.up.gov.in) पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2)

- (क) - नोडल अधिकारी के जनपद भ्रमण के दौरान प्रवास, वाहन सुरक्षा एवं वांछित लिपिकीय सहयोग आदि की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी।
- (ख) - जनपद की सभी प्रमुख परियोजनाओं, कार्यों, योजनाओं व प्राथमिकताओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा इन योजनाओं का लाभ जनता को समय उपलब्ध कराए जाने हेतु नोडल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadepic.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधिकारी जनपद एवं शासन के मध्य सेतु की भौति कार्य करेंगे। भ्रमण के दौरान जनता द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि किसी कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में जनपद एवं शासन स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक का समाधान तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी आवंटित जनपद के विकास में अहम भूमिका निभायेंगे।

(ग) – नोडल अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्तमान पद से किसी अन्य पद (मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी पद को छोड़कर) पर होने के बाद भी अधिकारी को आवंटित जनपद यथावत रहेंगे। मण्डलायुक्त को आवंटित जनपद पदनाम से यथावत बने रहेंगे।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। कृपया उपयुक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या/तिथिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० अध्यक्ष, राजस्व परिषद, ३०प्र०।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, ३०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ३०प्र० शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस उपमहानिरीक्षक (परिक्षेत्र), ३०प्र०।
8. समस्त पुलिस कमिशनर, ३०प्र०।
9. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ३०प्र०।

आज्ञा से,

(अलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या/तिथिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त निजी सचिव, मा० उपमुख्यमंत्री, मा० मंत्री, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं मा० राज्य मंत्री, ३०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मा० मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadeth.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्न- क

क्र० सं०	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित जनपद	मण्डल
1	2	3	4
1	श्री एम० देवराज, प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं राज्यकर	प्रयागराज	
2	श्री प्रभु नारायण सिंह, आयुक्त गन्ना	फतेहपुर	
3	श्री आलोक कुमार द्वितीय, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खेल एवं युवा कल्याण	प्रतापगढ़	प्रयागराज
4	श्री विजय विश्वास पन्त, मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल	कौशाम्बी	
5	डा० राज शेखर, प्रबन्ध निदेशक, पेयजल मिशन ग्रामीण	वाराणसी	
6	श्री के० रवीन्द्र नायक, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन, प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबन्धन, पशुधन	जौनपुर	वाराणसी
7	श्री अभय, सचिव, ३०प्र० पुनर्गठन समन्वय	चन्दौली	
8	श्री कौशल राज शर्मा, मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल	गाजीपुर	
9	डा० पिंकी जोवेल, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य	मिर्जापुर	
10	डा० मुथुकुमारस्वामी बी०, मण्डलायुक्त, विध्यांचल मण्डल	सोनभद्र	
11	श्री समीर वर्मा, सचिव, समाज कल्याण	संत रविदासनगर-भद्रोही	विध्यांचल
12	श्री नवीन कुमार जी०एस०, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त	आजमगढ़	
13	श्री बलकार सिंह, आवास आयुक्त	बलिया	आजमगढ़
14	श्री मनीष चौहान, मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल	मऊ	
15	श्री सुहास एल०वार्ड०, सचिव, खेल	गोरखपुर	
16	श्री अजय कुमार शुक्ल, सचिव, नगर विकास	देवरिया	गोरखपुर
17	श्री अनिल कुमार ढींगरा, मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल	कुशीनगर	
18	श्री पी० गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव, राजस्व	महाराजगंज	
19	श्रीमती नीना शर्मा, निदेशक, ३०प्र० प्रशासनिक एवं प्रबन्धन अकादमी	बस्ती	बस्ती
20	श्री अखिलेश सिंह, मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल	संतकबीरनगर	
21	श्री एस०बी०एस० रंगाराव, सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद	सिद्धार्थनगर	
22	श्रीमती कंचन वर्मा, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा	गोण्डा	
23	श्री अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	बलरामपुर	देवीपाटन
24	श्री शशि भूषण लाल सुशील, मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल	श्रावस्ती	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित जनपद	मण्डल
1	2	3	4
25	श्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा	बहराइच	
26	श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन	अयोध्या	
27	श्री प्रांजल यादव, सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	अम्बेडकरनगर	
28	श्रीमती वीना कुमारी मीना, प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/आबकारी	बाराबंकी	अयोध्या
29	श्री गौरव दयाल, मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल	सुल्तानपुर	
30	श्री पंकज कुमार, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०एल०	अमरी	
31	श्री हिमांशु कुमार, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	लखनऊ	
32	श्री एल० वैकटेश्वर ल०, प्रमुख सचिव, परिवहन	रायबरेली	
33	डा० रोशन जैकब, मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल	हरदोई	
34	श्री बाबूलाल मीना, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेशम	उन्नाव	
35	श्री राजेश कुमार सिंह-प्रथम, प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, महानिदेशक, कारागार, सहकारिता	सीतापुर	
36	श्रीमती मिनिष्टी एस०, सचिव, वित्त	खीरी	
37	श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	कानपुर नगर	
38	श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी, आयुक्त, ग्राम्य विकास	कानपुर देहात	
39	श्री अमित गुप्ता, मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल	फर्रुखाबाद	
40	श्री अभिषेक प्रकाश, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	इटावा	
41	श्री गुर्जला श्रीनिधासुलु, सचिव, लोक निर्माण	औरेया	
42	श्रीमती अपर्णा य०, सचिव, चिकित्सा शिक्षा	कन्नौज	
43	श्री पंधारी यादव, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाह्य सहायतित परियोजना	बॉदा	
44	श्री शहिद मंजर अब्बास रिजवी, सचिव, वित्त	महोबा	
45	डा० शन्मुगा सुंदरम् एम०के०, प्रमुख सचिव, बोसिक शिक्षा	हमीरपुर	
46	श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी, मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल	चित्रकूट	
47	श्री चन्द्र भूषण सिंह, आयुक्त, परिवहन	झाँसी	
48	विमल कुमार दुबे, मण्डलायुक्त, झाँसी	जालौन	
49	श्री अमृत त्रिपाठी, सी०ई०ओ०, बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण	ललितपुर	झाँसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित जनपद	मण्डल
1	2	3	4
50	डा० हरि ओम, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण	आगरा	
51	श्रीमती रितु माहेश्वरी, मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल	मथुरा	
52	श्री सुखलाल भारती, सचिव, ग्राम्य विकास	फिरोजाबाद	आगरा
53	श्रीमती अनामिका सिंह, सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार	मैनपुरी	
54	श्री रवि कुमार एन०जी०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा	अलीगढ़	
55	श्री मयूर माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ३०प्र०, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर	हाथरस	
56	श्रीमती चैत्रा वी, मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल	एटा	अलीगढ़
57	श्रीमती धनलक्ष्मी के०, सचिव, मानव अधिकार आयोग, ३०प्र०, लखनऊ	कासगंज	
58	श्री सौरभ बाबू आयुक्त, खाद्य एवं रसद	बरेली	
59	श्री रंजन कुमार, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य	बदायूँ	बरेली
60	श्रीमती सौम्या अग्रवाल, मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल	पीलीभीत	
61	श्री अनिल कुमार तृतीय, प्रमुख सचिव, श्रम	शाहजहाँपुर	
62	श्री पार्थसारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य	मुरादाबाद	
63	श्री आंजनेय कुमार सिंह, मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल	सम्भल	
64	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण	रामपुर	मुरादाबाद
65	डा० लोकेश एम०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा	बिजनौर	
66	श्री रणवीर प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, विद्युत उत्पादन व पारेषण निगम	अमरोहा	
67	श्री नरेन्द्र भूषण, प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं पंचायतीराज	मेरठ	
68	श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास	गाजियाबाद	
69	श्री अजय चौहान, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण	हापुड़	
70	श्री मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मार्थ कार्य	गौतमबुद्धनगर	मेरठ
71	श्रीमती सेल्वा कुमारी जे०, मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल	बुलन्दशहर	
72	श्रीमती संयुक्ता समद्वार, आयुक्त, एन०सी०आर०	बागपत	
73	श्री रविन्द्र, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार	सहारनपुर	सहारनपुर
74	डा० हृषिकेश भास्कर यशोद, मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल	मुजफ्फरनगर	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0 सं0	नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित जनपद	मण्डल
1	2	3	4
75	श्री संजय कुमार, प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0	शामली	

http://shasanadेश.up.nic.in

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।